संख्या – 465/9–1–2010–66सा/2001टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 08 मार्च, 2010

विषयः– प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 433/9–1–09–66 सा/2001 टीसी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 द्वारा प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में नियुक्त किये गये संविदा सफाई कर्मियों का न्यूनतम पारिश्रमिक रुपये 100/– प्रतिदिन अथवा रुपये 2600/– प्रतिमाह किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

2– इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रुपये 2600/– प्रतिमाह का क्लाज (clause) समाप्त कर दिया जाय ।

3– उक्त शासनादेष दिनांक 16.02.09 को संशोधित करते हुए शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

4– कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 ।
3– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतें,उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)
4– नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।